न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला–जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी : श्री पुखराज कांसोटिया आर०ए०एस०
राजस्व अपील संख्या :– 06/2022

अपीलाण्ट

1. श्रीमती लीला पुत्री श्री केसाराम जी पत्नी श्री हस्तीमल जी, जाति–सोनी,निवासी–ग्राम बासना, जिला–पाली।
2. श्रीमती बिदामी देवी पुत्री श्री केसाराम जी के का.मु.
   2/1. श्रीमती इन्द्रा पुत्री श्रीमती बिदामी देवी पत्नी श्री बाबुलाल जी, जाति–सोनी, निवासी–45, देवी रोड़, चादंणा भाखर, जोधपुर।
3. श्रीमती पतासी देवी पुत्री केसाराम के का.मु. :–
   3/1. श्री ज्ञानमल पुत्र श्रीमती पतासीदेवी पत्नी श्री सुरजकरन जी, जाति–सोनी, निवासी–ग्राम खिचन, तहसील फलोदी जिला–जोधपुर (राज०)।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री केसाराम जी, के का.मु. :–
   1/1. रमेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
   1/2. प्रकाश पुत्र श्री पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
   1/3. नेनाराम पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण के का.मु. :–
   1/3/1. रेखा पत्नी श्री नेनाराम सभीजातियान्–सोनी, निवासीगण–ग्राम सालावास, तह. लूणी जिला–जोधपुर।
2. गणपतराम पुत्र श्री केसाराम के का. मु. :–
   2/1. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री श्री गणपतराम जी पत्नी श्री कपूर चन्द जी, जाति–सोनी, निवासी–ग्राम खिवाड़ा, जिला–पाली।
   2/2. श्रीमती बेबी पुत्री श्री गणपतराम जी पत्नी श्री शिवलाल जी, जाति–सोनी, निवासी–ग्राम रोहिचा,तहसील–लूणी, जिला–जोधपुर।
3. पुखराज पुत्र श्री केसाराम के का०मु०:–
   3/1० श्रीमती बंसती देवी पत्नी श्री पुखराज जी,
   3/2० श्रीमती सीमा पुत्री श्री पुखराज पत्नी श्री महावीर जी, जाति–सोनी, निवासी–ग्राम राणावास, जिला–पाली।
   3/3० श्रीमती पिंकी पुत्री श्री पुखराज जी पत्नी श्री अजय जी, निवासी–मोती चौक, ब्यावर, जिला–अजमेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला–जोधपुर।
5. कमोद टाटिया पुत्र श्री कैलाश राज टाटिया, जाति–ओसवाल, निवासी–बासनी, द्वितीय फेस, मेडिप्लस हॉस्पीटल के पास, टाटिया इण्डस्ट्रीज, सालावास रोड़, जोधपुर।
6. कौशल्या पत्नी श्री अरविन्द कुमार,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

जाति–जैन, निवासी–बासनी, द्वितीय फेस, गली नं. 06, अरविन्द टेक्सटाईल्स, बासनी, जोधपुर।

7. देवन्द्र छाजेड़ पुत्र श्री जसराज छाजेड़, जाति–जैन, निवासी–16–बी, 02–लाईट, इण्डस्ट्रीज एरिया, जी एक्सटेंशन, शास्त्रीनगर, जोधपुर।
8. प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचन्द जी भंसाली, जाति–जैन, निवासी–शास्त्री नगर, जोधपुर।
9. बजरंग लाल राठी पुत्र श्री रामकरण राठी, जाति–माहेश्वरी, निवासी–शास्त्रीनगर, जोधपुर।
10. मनीष भाटी पुत्र श्री बाबुलाल जी, जाति–माली, निवासी–नया चौराहा, पाल रोड़, जोधपुर।
11. मनोज कुमार पुत्र श्री सम्पतराज, जाति–जैन, निवासी–शास्त्रीनगर, जोधपुर।
12. मालती सांवल पत्नी श्री ज्ञानचन्द जी, जाति–माहेश्वरी, निवासी–शास्त्रीनगर, जोधपुर।
13. लेखों पुत्र श्री नारायण जी, जाति–माली, निवासी–236, रूपनगर, दो सांई बाबा मन्दिर के पास, जोधपुर।
14. सौमप्रकाश पुत्र श्री रामरतन सिंहल, जाति–अग्रवाल, निवासी–आर्य समाज के पास, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या–509, दिनाँक 15.07.1977 सरपंच ग्राम पंचायत, सालावास द्वारा पारित किया हैं जिसके संदर्भ में यह अपील प्रस्तुत हैं।

उपस्थित :–
अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री बेनाराम पटेल
रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से सरकारी पैरोपार
रेस्पोडेन्ट सं. 1/1, 1/2, 1/3/1, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3 की ओर से श्री अमरसिंह चौधरी
रेस्पोडेन्ट सं. 12 की ओर से श्री हरीसिंह कच्छावाह
रेस्पोडेन्ट सं. 10 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रजापत उपस्थित
रेस्पोडेन्ट सं. 5, 6, 8, 9 की ओर से श्री दिनेश विश्नोई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

—: आदेश

दिनांक : 6/9/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत् विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या—509, दिनांक 15.07.1977 सरपंच ग्रम पंचायत सालावास द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात् वकील अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश—06 नियम—17 सपठित धारा—151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या—509 पारित करने के पश्चात् खसरा संख्या—104, रकबा—14 बीघा को रेस्पोडेन्ट संख्या—01 से 03 ने मिली भगत कर उक्त खसरें की सम्पूर्ण भूमि आबादी में किस्म परिवर्तन करवा दिया गया, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट उक्त आदेश जैर—अपील में वर्णित खसरा 104 रकबा—14 बीघा के में आबादी में परिवर्तन हो जाने के कारण खसरा संख्या—104 रकबा—14 बीघा के सम्बन्ध में चुनौती नही दे रहा हैं। इस आशय का इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर विधिवत सुनवाई कर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश—06 नियम—17 सपठित धारा—151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया गया एंव संशोधित अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने संशोधित अपील प्रस्तुत की, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सालावास तहसील—लूणी, जिला—जोधपुर के खेत खसरा संख्या—106/1 रकबा 20 बीघा के रूप में दर्ज हैं। तत्पश्चात् खातेदार केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम के निर्वसीयत देहान्त हो गया। पक्षकारान् का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैं कि :—

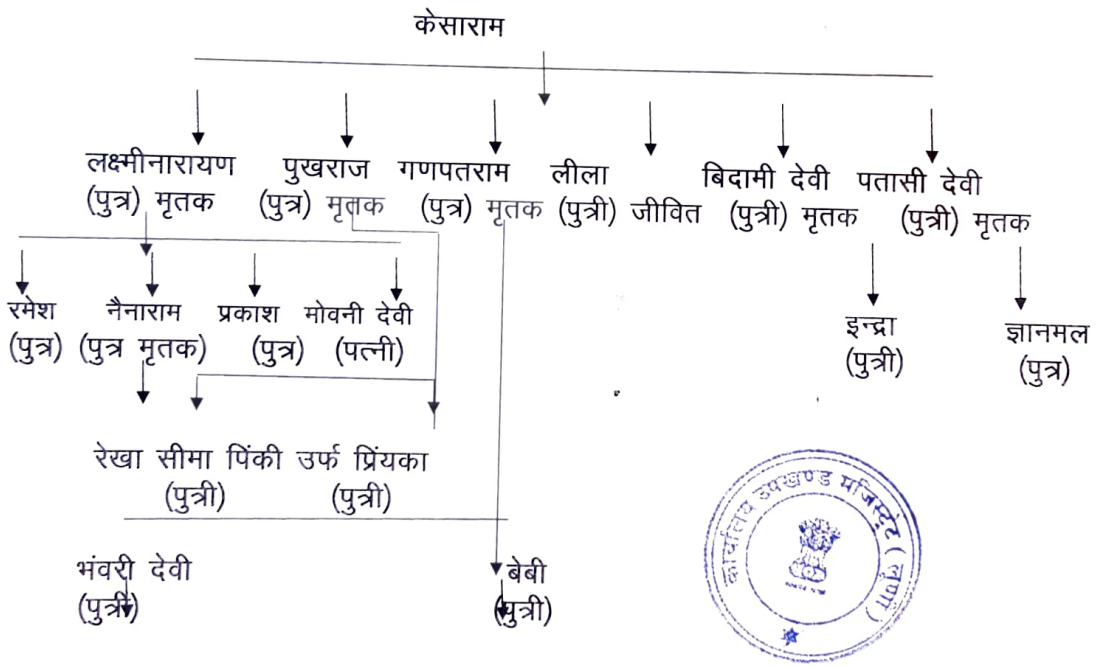


उपरोक्त सजरा खानदान से स्पष्ट हैं कि पक्षकारान् स्वर्गीय श्री केसाराम पुत्र श्री बुधाराम, जाति—सोनी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान् हैं, यानि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या—01 से 03 विधिक वारिसान हैं एवं रेस्पोडेन्ट संख्या—05 से 14 रेस्पोडेन्ट संख्या—01 से 03 के द्वारा विधि—विरूद्ध खरीद करने को बतला रहे हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत सालावास ने फौतेदगी नामान्तरकरण आदेश जैर—अपील पारित करते समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—08 के अनुसार प्रथम अनुसूची के अनुसार आदेश जैर—अपील यानि नामान्तरकरण पारित नहीं किया हैं जो कि विधि विरूद्ध हैं एंव कानून की दृष्टि से भी अपने अधिकारो के परे जाकर त्रुटिवश नामान्तरकरण यानि विधि—विरूद्ध पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स मृतक केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम, जाति—सोनी के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने बावजूद भी फौतेदगी नामान्तरकरण में इनका नाम नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

2–अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इसे दर्ज व रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, इस प्रकरण में सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण संख्या–509 ग्राम पंचायत सालावास तलब किया गया, जो प्राप्त हो चुका हैं। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

3–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल ने अपनी बहस में अपील नियमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सालावास के खसरा संख्या–104 रकबा–14 बीघा पूर्व में ही आबादी में परिवर्तन हो जाने के कारण इस खसरें के सम्बन्ध में अपील के मार्फत चुनौती नही दी हैं, अन्य खसरा संख्या–106/1 रकबा–20 बीघा अपीलार्थी के पिता केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम, जाति–सोनी के नाम की थीं। अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिल्कुल गलत, निराधार, विधि के विपरीत, रेकॉर्ड पर आई साक्ष्य के विपरीत होने से खारिज होने बताया गया।

4–अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि मृतक केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम, जाति–सोनी के सभी उत्तराधिकारियों की जांच किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया हैं,जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्त हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह कथन किया कि स्वर्गीय श्री केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम, जाति–सोनी के तीन लड़कियां अपीलान्ट्स संख्या–1 श्रीमती लीला पुत्री स्व. श्री केसाराम, अपीलान्ट्स संख्या–2 श्रीमती बिदामी देवी पुत्री स्व. श्री केसाराम एवं अपीलान्ट्स संख्या–3 श्रीमती पतासी देवी पुत्री स्व. श्री केसाराम के साथ रेस्पोडेन्ट् संख्या–01 से 03 जाईन्दा पुत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट यानि केसाराम के पुत्रों के पक्ष में नामान्तकरण पारित कर दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण पारित करना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधि की अवहेलना की हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5–रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में प्रस्तुत अपील का विरोध किया व अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, व अपीलान्ट ने धारा–05 म्याद अधिनियम के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 1999(1)एससी पेज सं.107, प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह मतप्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–5 विलम्ब का शमन पर्याप्त कारण आधार हो, पक्षकारों के हकों को नष्ट करने के लिए परिसीमा के प्रावधान नहीं हैं, इसका ध्येय यह व्यवस्था करना हैं कि पक्षकार टाल ढूल की चालाकी नही करे पर उचित रति से कार्य हो धारा–5 के वाक्यांश में पर्याप्त कारण का निर्वचन उदारता से होना चाहिए जिससे सारवान न्याय में प्रगति हो–जब प्रार्थी की चूक का न्यायालय विलंब का शमन करते है तो न्यायालय को विपक्षी पक्षकार की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल,. राजस्थान अजमेर का न्यायिक दृष्टान्त, आरआरडी, 2008 पेज सं.804 में यह मत प्रतिपादित किया कि विलम्ब माफी देते समय अवधि की लम्बाई तात्विक नहीं होती हैं, बल्कि विलम्ब माफी हेतु आधार पर पर्याततता अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हैं कि अपील में विधि एवं न्याय का सारभूत प्रश्न अन्तर्गत हैं, जबकि परिसीमा के तकनीकी विचार के मुकाबलें न्याय का सारभूत प्रश्न दफन होता हों, तो सारभूत न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपील को गुणावगुण पर विनिश्चित करनी चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

माननीय राजस्व मण्डल ने भी 32 वर्ष के विलम्ब को भी माफ किया हैं। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स धारा–5 म्याद अधिनियम के जवाब प्रार्थना–पत्र में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद्र अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील अन्दर म्याद मानी जाती हैं।

6–इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति हैं कि मृतक केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम, जाति–सोनी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनकी खातेदारी कृषि भूमि पर हक उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानों का होता हैं। यानि पुत्र एवं पुत्रियां, विधवा इत्यादि के वारिसानो का होता हैं, यानि कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–08 के तहत् अपीलान्ट मृतक केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् हैं, यानि कि कोई भी हिन्दु पुरूष निर्वसीयत मृत्यु होने पर प्रथम अनुसूची में पुत्री एवं पुत्रियां, विधवा बराबर हिस्से की उत्तराधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का भी फौतेदगी नामान्तरकरण में नाम आना चाहिए था। परन्तु ऐसा नही किया गया हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के तहत् अपीलाण्ट्स मृतक केसाराम पुत्र श्री बुद्धाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है उनका भी नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण होना चाहिए था। मृतक केसाराम के सभी उतराधिकारियों को बिना सुने नामान्तरकरण पारित किया हैं तो ऐसा आदेश एक शून्य आदेश हैं। ऐसे आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं, जो म्याद का प्रश्न आडे नही आता हैं एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अगर कोई विवादित जमीन का बेचान किया भी है तो उनके हक व हिस्से तक ही वैध हो सकता है यानि कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने हिस्से से अधिक किया गया बेचाननामा कानूनन में इसका कोई महत्व नहीं हैं न ही खरीददार को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार करने योग्य हैं। यहां यह पर स्पष्ट करना उचित होगा कि वर्तमान में खसरा संख्या–104 रकबा–14 बीघा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के खाते में दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा इस खसरें को चुनौती नही दी गई हैं।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सालावास द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या–509, दिनांक 15.07.1977 को आशिक निरस्त किया जाता हैं व खसरा संख्या–104, रकबा–14 बीघा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के खातें में दर्ज होने के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के खातें में रहेंगी, तथा अन्य खसरा प्रकरण तहसीलदार, लूणी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि स्व. केसाराम पुत्र स्व. बुद्धाराम, जाति–सोनी, निवासी–ग्राम सालावास के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की मजमें आम में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–08 के तहत् खसरा संख्या–106/1 रकबा–20 बीघा ग्राम सालावास तहसील लूणी के सम्बन्ध में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण कार्यवाही नये सिरे से एक माह के भीतर पूरी करें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया)**RAS**
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी,